।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।
पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

अपील संख्या 03/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
दौलत सिंह पुत्र अखे सिंह जाति राजपूत निवासी गांव मालूसर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर		सरकार जरिये नायब तहसीलदार फलसूण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 27.11.2014 नायब तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा प्रकरण संख्या 93/2014 में पाारित किया गया।

उपस्थिति :–

3. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
4. उप तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज प्रत्थर्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 24 मार्च, 2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम मालुसर के खसरा नम्बर 97 रकबा 10 बीघा भूमि पर संवत् 2071 में बाजरी की काश्त अतिक्रमण करने पर हलका पटवारी की इस आशय की रिपोर्ट पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत उप तहसीलदार फलसूण्ड द्वारा प्रकरण संख्या 93/2014 दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जबाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई और उक्त नोटिस अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार करने के प्रतिवेदन पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2014 द्वारा 40 रू. का अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास के दण्ड की शास्ति अधिरोपित कर दी। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी की ओर से न तो कथित नोटिस उसे थमाया गया एवं न ही उसने इसे लेने से इंकार किया। उसका आगे कथन रहा कि नोटिस प्राप्त करने से इंकार करने पर आदेश 5 नियम 16 सिविल प्रक्रिया संहिता में संबंधित के आबाद मकान पर चस्पा कराकर तामील प्रक्रिया का प्रावधान है, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है। उसका आगे कथन रहा है कि उसके द्वारा प्रश्नगत काश्त नहीं की गई व न ही वह पूर्व में अतिक्रमी रहा है। अपीलार्थी ने अपने पिता से अलग रहने व गांव में दलबंदी होने से प्रश्नगत कार्यवाही की गई है, जिसे अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब का शमन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर प्रस्तुत अपील समयावधि में शुमार करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर तर्क रहा कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.11.2014 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 13.05.2015 को होने पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 22.05.2015 को अपील प्रस्तुत कर दी। उन्होंने अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने का अनुरोध कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। पेरोकार राज द्वारा इसका विरोध किया गया। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का शमन किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना निश्चित किया जाता है। गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की समुचित तामील नहीं कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अपीलार्थी

अखे सिंह के हक में उप जिलाधीश पोकरण के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 225/1984 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 22.12.1984 जिसके द्वारा वादी को ग्राम ओला के खसरा नम्बर 97 में 50 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया था का अभिलेख में अब तक अमल दरामद नहीं होने का भी कथन कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने का अनुरोध किया। पेरोकार राज ने अपने तर्क में प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 29.09.2014 जिसके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 14.10.2014 को प्रतिवेदित अनधिकृत काश्त के संबंध में हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की गई थी, अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किया गया, जो तामील कुनिन्दा की हलका पटवारी की उपस्थिति में की गई रिपोर्ट से साबित है। अपीलार्थी द्वारा संवत् 2011 में प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की थी, जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं परिशीलन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण संख्या 93/2014 में अपीलार्थी को प्रश्नगत अतिक्रमण के संबंध में अपना जबाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29.09.2014 को नोटिस जारी कर इस हेतु दिनांक 14.10.2014 नीयत की। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा प्रकाश ने रिपोर्ट की है कि नोटिस लेने से इंकार किया है अतः अदम तामील पेश है। हलका पटवारी ने अपने पृष्ठांकन दिनांक 12.10.2014 में अतिक्रमी द्वारा नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट अंकित है। आदेश 5 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधित है कि जहां संबंधित व्यक्ति नोटिस प्राप्त करने से इंकार करता है तो नोटिस की एक प्रति उसके मामूली तौर पर निवास करने वाले गृह के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चस्पा की जाकर जिसकी उपस्थिति में मकान पहचाना जाकर नोटिस चस्पा किया गया के उल्लेख के साथ न्यायालय को लौटाया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर संवत् 2011 में अतिक्रमण कर काश्त करने का अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलार्थी के पिता के नाम ग्राम ओला के खसरा नम्बर 97 रकबा 50 बीघा की खातेदारी की डिक्री दिनांक 22.12.1984 का प्रश्नगत भूमि जो ग्राम मालूसर के खसरा नम्बर 97 जिसका कुल रकबा 1223 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा है से कोई संबंध होने की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए अपीलार्थी को जारी नोटिस की तामिल उस पर विधिवत नहीं हुई है, जिससे उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना नहीं ठहरता। जहां अप्रार्थी किसी नोटिस / समन को प्राप्त करने से इंकार करे तो इस आशय की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट दो मातबिरान की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर अन्तर्गत होना वांछनीय है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट की ताईद केवल हलका पटवारी द्वारा की गई है। अप्रार्थी द्वारा समन / नोटिस प्राप्त करने की इंकार की स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 के अन्तर्गत ऐसे समन / नोटिस की तामील अप्रार्थी के आबाद मकान के दृश्य भाग पर मौतबिरान की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर चस्पा करने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2014 अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर